(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां ।

(ख) प्राप्त शिकायतें पासपोर्टों को जारी करने में हुई असाधारण देरी के सम्बन्ध में थी । आरोप सामान्य किस्म के थे और स्टाफ के किसी सदस्य/अधिकारी विशेष के विरुद्ध उनमें कोई सूचना नहीं थी ।

(ग) सितम्बर, 1994 से पटना कार्यालय में बकाया मामलों की संख्या 27026 से घटकर 2383 हो गई है । 31-1-95 की स्थिति के अनुसार पटना कार्यालय अब 30 दिन में पासपोर्ट जारी कर रहा है ।

**Firing by Sri Lankan Navy on Indian Fishernien**

431- SHRI VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many Indian fishermen were killed by in firing resorted to by the Sri Lankan Navy daring the last three years:

lb) what stps Government have taken to save the life of fishermen since the Sri Lankan Navy indulged in violence without any care for Human Rights; and ,

(c) whether Government would come forward to censure the Sri Lankan Government for having indulged in such type of violence?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) 25 Indian fishermen are reported to have been killed in firing resorted to by the Sri Lankan Navy duping the last three years.

(b) and (c) These incidents have been taken up strongly by the Government of India with the Sri Lanka Government. Bilateral discussions were held at the Foreign Secretary level in October 1993 and again at the official level in March, 1994 to discuss measures for preventing such incidents in future- These measures relate to (i) precautions to be observed by our fishermen; and (ii) steps to be taken by Sri Lankan Navy to avoid harassment of innocent fishermen. While there have been repeated incidents of our fishermen transgressing the International Boundary Line, the Indian side con veyed its concern over incidents of attack on Indian fishermen. Taking note of the seriousness of the situation, both sides agreed on the need for implementing effective measures for resolving problems of Indian fishermen. The issue was also discussed during visits of the Foreign Minister of Sri Lanka in April, 1994 and again in December, 1994. The two sides are agreed on continuing the process of bilateral discussions on this subject. Another round of consultations is proposed to take place shortly-

**पाकिस्तान में अमरीकी परमाणु परीक्षण निगरानी सुविधा का विनाशकारी प्रस्ताव**

434. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने पाकिस्तान में भूमिगत परमाणु परीक्षणों की निगरानी के लिए पाकिस्तानी क्षेत्र में वैज्ञानिक सुविधा स्थापित करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विध्वंसक हथियार बनाए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अमरीका की इस वैज्ञानिक सुविधा से इस क्षेत्र में मानव जीवन के विनाश की संभावना बढ़ गई है ;

(घ) यदि नहीं तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने अमरीका का ध्यान इन मानव-विरोधी गतिविधियों की ओर दिलाया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार को पाकिस्तान में भूकम्पीय निगरानी तंत्र स्थापित करने की जानकारी है । यह व्यवस्था अमरीका की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय भूकम्पीय नेटवर्क के एक भाग के रूप में की जा रही है । जिसका प्रयोग भावी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी), जिसके संबंध में जेनेवा में इस समय निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन में बातचीत चल रही है, का सत्यापन करने के लिए किया जाएगा ।

(ख) सरकार को पाकिस्तान के चोरी-छिपे गस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम की जानकारी है । पाकिस्तान के नेताओं ने भी अपने वक्तव्यों में पाकिस्तान की नाभिकीय क्षमता की पुष्टि की है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**"सार्क" सम्मेलन स्थगित किया जाना**

435. **श्री गोविन्दराव आदिक :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल में दिल्ली में होने वाला "सार्क" सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अगला "सार्क" सम्मेलन कब और कहां होगा और उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा होगी ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) आठवां "सार्क" शिखर सम्मेलन, जो अप्रैल, 1995 में नई दिल्ली में होना था, पाकिस्तान की सरकार के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया है।

(ग) आठवें "सार्क" शिखर सम्मेलन का समय पुनः निर्धारित किया गया है और अब यह 2 मई से 4 मई, 1995 तक नई दिल्ली में होगा। आज की तारीख तक के अनुसार जिन विषयों पर विचार-विमर्श होगा, वे नीचे लिखे अनुसार होंगे :

—सार्क मंत्री परिषद् के तेरहवें, चौदहवें और पन्द्रहवें सत्रों की रिपोर्ट ।

—नवम्बर, 1993 में काठमांडू में हुए महिला एवं परिवार स्वास्थ्य संबंधी सार्क मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा पारित काठमाण्डू संकल्प।

—दिसम्बर, 1993 में इस्लामाबाद में हुए विकलांग व्यक्तियों के संबंध में सार्क मंत्री स्तरीय सम्मेलन का इस्लामाबाद संकल्प और रिपोर्ट ।

—मई, 1994 में माले में हुए दक्षिण एशिया में युवा संबंधी सार्क मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा पारित माले संकल्प।

—जुलाई, 1994 में ढाका में हुई सार्क वित्त/योजना मंत्रियों की बैठक की रिपोर्ट।

**Complaints of foriegn esttaecMittuw against Indian Public Sector Compaake**

436. SHRI GHUFRAM AZAM: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Govemment have taken any decision on the complaints recieved by Indian mission in 'Berlin, Germany from foreign entrepreneurs against some Indian State Sector companies for their various lapses